भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1539
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण

1539. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली सहित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त ग्रामीण युवाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार भी प्रदान किया जाए; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत देश में मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली सहित राज्य-वार कितने प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) एक नियोजन-आधारित कौशल विकास कार्यक्रम है जिसे मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में लागू किया जा रहा है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित और नियोजित लाभार्थियों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत , कुल प्रशिक्षित लाभार्थियों में से कम से कम 70% का नियोजन सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य सहित देश में डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत संचालित किए जा रहे प्रशिक्षण केंद्रों की राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

अनुबंध-।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1539 के उत्तर के भाग(क) एवं (ख) में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान डीडीयू -जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित और नियोजित लाभार्थियों का राज्यवार विवरण:

क्र सं	राज्य	वित्त वर्ष 20-21		वित्त वर्ष 21-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26 जून 2025 तक	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	4156	2177	1606	2135	18616	17070	19829	18045	10328	9033	391	0
2	अरुणाचल प्रदेश	28	33	233	71	608	295	678	315	684	265	0	29
3	असम	1966	3296	3553	916	12532	6817	10615	8571	5231	4127	883	44
4	बिहार	2687	2745	7099	2491	11516	9005	6733	7226	1709	1885	0	48
5	छत्तीसगढ	1109	3683	6499	2883	9742	8484	3045	3958	1170	1759	166	55
6	गुजरात	240	875	830	599	2912	1450	3960	2729	3544	2584	733	216
7	हरियाणा	26	1213	1772	680	5554	2685	8478	4882	4492	3700	441	198
8	हिमाचल प्रदेश	0	117	334	10	3967	2175	4324	3187	3084	2273	773	399
9	जम्मू और कश्मीर	3454	1945	2300	1102	5459	2754	1177	1245	1767	636	294	102
10	झारखंड	1050	1879	4035	1354	10228	7343	11340	8157	6607	4911	1427	228
11	कर्नाटक	769	1649	1442	673	3757	2813	3795	2656	1797	1914	130	277
12	केरल	3053	2931	3219	1097	8623	5224	5212	4078	3052	2572	340	215
13	**मध्य प्रदेश**	**903**	**969**	**6825**	**3977**	**15653**	**11287**	**12107**	**10538**	**5097**	**4756**	**1421**	**408**
14	महाराष्ट्र	874	3319	348	1612	7830	4020	6381	4614	7761	4347	921	61
15	मणिपुर	338	387	811	139	1921	1266	782	854	263	356	741	49
1	मेघालय	83	158	456	241	2165	1353	1630	1352	1642	761	292	173

6													
17	मिजोरम	37	88	105	94	344	349	725	499	723	474	199	70
18	नागालैंड	221	278	1009	614	2371	1409	1714	1592	804	570	138	113
19	ओडिशा	7978	7729	10474	4828	16778	13248	3997	5330	947	1095	385	2
20	पंजाब	2922	1931	6976	4188	8121	7020	11803	8805	1979	3560	2830	224
21	राजस्थान	981	1759	3096	3130	6092	6209	7233	4218	5376	4532	540	258
22	सिक्किम	0	43	90	0	859	384	1123	720	255	393	0	0
23	तमिलनाडु	213	1286	8228	2941	15225	10648	13411	10206	5274	4803	750	94
24	तेलंगाना	2752	1436	3177	2494	7094	4564	92	230	2560	1271	708	144
25	त्रिपुरा	21	609	1049	193	2244	1189	2126	1336	913	694	60	28
26	उत्तर प्रदेश	1540	4068	16898	3765	36567	21921	45215	33458	18080	16245	1366	585
27	उत्तराखंड	367	416	3645	917	8248	4409	6026	5306	1894	2821	222	109
28	पश्चिम बंगाल	521	2544	732	2424	9596	4774	4979	5979	3172	1969	451	125
29	पुदुचेरी*	0	0	165	44	844	343	956	919	436	444	30	3
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह*	-	-	0	0	133	38	547	225	242	196	34	0
	कुल	**38289**	**49563**	**97006**	**45612**	**235599**	**160546**	**200033**	**161230**	**100883**	**84946**	**16666**	**4257**

टिप्पणी:

(i) -यह दर्शाता है कि यह कार्यक्रम उस वर्ष में शुरू नहीं किया गया था।

*(i i) *इंगित करता है कि प्रशिक्षण 2020-21 में पुदुचेरी में और 2021-22 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू किया गया था, लेकिन उस वर्ष के दौरान पूरा नहीं हुआ।*

(i i i) कुछ राज्यों में कुछ वर्षों में , उसी वर्ष के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अभ्यर्थियों को नियोजित किया गया , क्योंकि इससे पिछले वर्ष (वर्षों) के दौरान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी नियोजित किया गया था।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या1539 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सक्रिय प्रशिक्षण केंद्रों की कुल संख्या:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र**
1	आंध्र प्रदेश	102
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1
3	अरुणाचल प्रदेश	7
4	असम	7
5	बिहार	2
6	छत्तीसगढ़	8
7	गोवा	0
8	गुजरात	6
9	हरियाणा	31
10	हिमाचल प्रदेश	26
11	जम्मू और कश्मीर	10
12	झारखंड	27
13	कर्नाटक	3
14	केरल	4
15	**मध्य प्रदेश**	**17**
16	महाराष्ट्र	18
17	मणिपुर	11
18	मेघालय	4
19	मिजोरम	3
20	नागालैंड	4
21	ओडिशा	26
22	पुदुचेरी	3
23	पंजाब	47
24	राजस्थान	39
25	सिक्किम	3
26	तमिलनाडु	39
27	तेलंगाना	52
28	त्रिपुरा	4
29	उत्तर प्रदेश	70
30	उत्तराखंड	11
31	पश्चिम बंगाल	26
	कुल	**611**